न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिधूना औरैया

प्रकीर्ण वाद संख्या–72/2026

CNR.No.UPAU120005722026

रबीना बनाम ऋषि यादव

अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना ऐरवाकटरा, जिला औरैया।

दिनांकः–01.04.2026

1 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

2. प्रार्थिनी/आवेदिका का संक्षेप में कथन है कि घटना दिनांक 25.12.2025 समय करीब रात्रि 11:30 बजे की है। प्रार्थिनी अपने छोटे–छोटे बच्चों के साथ घर में सो रही थी तभी प्रार्थिनी के गांव का ही ऋषि यादव पुत्र मुकेश यादव प्रार्थिनी के मकान के पीछे बनी लैट्रिन से चढ़कर प्रार्थिनी की छत पर बने कमरे में घुस आया और प्रार्थिनी के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करते हुए बुरा काम करने लगा। प्रार्थिनी चीखी चिल्लायी तभी नीचे सो रहे प्रार्थिनी के ससुर जिलेदार, सास मिथलेश कुमारी व देवर उपेन्द्र दौड़कर छत पर आये तो ऋषि यादव प्रार्थिनी को जान से मारने की धमकी देता हुआ लैट्रिन से कूदकर भाग गया। घटना के बाद प्रार्थिनी थाना ऐरवाकटरा गयी लेकिन प्रार्थिनी की रिपोर्ट थाना पुलिस द्वारा नहीं लिखी गयी तब प्रार्थिनी ने दिनांक 0901.2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक औरैया सहित श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर व श्रीमान पुलिस महानिदेशक लखनऊ उ0प्र0 को पंजीकृत डाक के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रेषित किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है।

3. प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में आवेदिका द्वारा स्वयं का शपथपत्र, पुलिस अधीक्षक औरैया को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि, पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि, पुलिस महानिदेशक महोदय कानपुर परिक्षेत्र कानपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि, थानाध्यक्ष ऐरवाकटरा को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि, तीन किता मूल रजिस्ट्री रसीद, आधार कार्ड रबीना कुमारी की छायाप्रति प्रस्तुत किये गये हैं।

4. थाना ऐरवाकटरा की आख्यानुसार उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी पर छेड़खानी करने व जान से मारने की धमकी का कथन किया गया है। प्रस्तुत मामले में आवेदिका को समस्त तथ्यों की जानकारी है तथा किसी विषेश साक्ष्य का संकलन अन्वेषण के माध्यम से किया जाना इस स्तर पर आवश्यक नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **रामबाबू गुप्ता एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2001 (43) ACC 50** तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **Smt. Mona Panwar vs High Court of Judicature at Allahabad through its Registrar & others 2011(3) SCC 496** में माननीय

Digitally signed by KUSHAGRA MISHRA
Date: 2026.04.01 16:22:57 IST
Reason: Order
Location: ACJJD Bidhuna Auraiya

न्यायालय ने यह धारित किया गया है कि इस प्रकृति के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के दौरान मजिस्ट्रेट को अपने न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए और यदि वह यह पाता है कि मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र को परिवाद के रुप में दर्ज किया जाये तो मजिस्ट्रेट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रुप में चलाये जाने हेतु आदेश पारित कर सकता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से विवेचना कराये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उक्त विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण को परिवाद के रुप में पंजीकृत किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी0एन0एस0एस0 को परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान 223 बी0एन0एस0एस0 दिनांक 01.05.2026 को पेश हो।

(कुशाग्र मिश्र)
अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिधूना औरैया
जे.ओ.कोड–यू.पी.4693